-1-

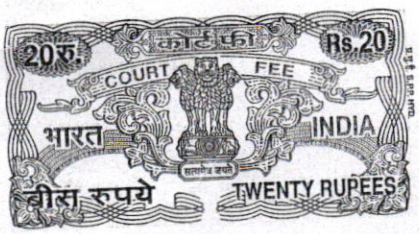

10

निग -3465-I-16

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर सागर कैम्प

गंगाराम तनय परसादी ढीमर
निवासी लुहरगुवा तह. पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ़ म.प्र. ....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म०प्र० भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 141/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06–01–16 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, आवेदक को आवंटन अधिकारी तहसीलदार पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 16.08.90 के तहत ख.नं. 37 रकवा 1.497 हे0 का पट्टा म.प्र. शासन कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमिस्वामी अधिकारों के अंतर्गत 02.10.84 के पूर्व के कब्जे के आधार पर विधिवत प्रकिया अपनायी जाकर 02.10.84 को आवेदक का कब्जा होने जैसा कि खसरा पांचसाला वर्ष 83–84 में आवेदक का कब्जा दर्ज होना प्रमाणित है। विधिवत प्रकिया अपनाते हुए प्रदान किया गया था किंतु विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के नाम की प्रविष्टि होने के उपरांत भी बिना किसी विधिक प्रक्रिया के उक्त प्रविष्टि को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जबकि उन्हें ऐसा करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी तथा आवेदक को उक्त पट्टे वाली भूमि का अतिक्रमक मानते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए जाने से उक्त आदेश की जानकारी उपरांत यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचनापत्र के जबाव का विधिवत परिक्षण नहीं किया, ना ही प्रस्तुत खसरा पांचसाला वर्ष 83–84 का अवलोकन किया गया, दखल रहित अधिनियम के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि आवेदक का कब्जा 02.10.84 को था अथवा नहीं, इस संबंध में निवेदन है कि आवेदक को विधिवत कब्जा होने के आधार पर ही पट्टा आदेश जारी किया गया, वर्ष 83–84 के खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि में आवेदक का कब्जा दर्ज चला आ रहा है जिसकी छायाप्रति श्रीमान् के अवलोकनार्थ संलग्न है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनाधिकृत रूप से समकक्ष वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किए गए पट्टे को नजरअंदाज करते हुए उक्त भूमि की प्रविष्टि

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
उत्तरांशी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.3465-I/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-10-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 141/बी—121/2015—16 मे पारित आदेश दि. 06/01/2016 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम लुहरगुवा भूमि ख0नं0 37 रकवा 1.497 हे0 भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षो से चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार पृथ्वीपुर बंटन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 16.08.1990 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर विवादित भूमि को शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 26 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही तहसीलदार पृथ्वीपुर द्वारा अमल में लाई गयी है जबकि उन्हें ऐसा करने की कोई अधिकारिता नहीं थी मात्र हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध पारित आदेश उपरांत आवेदक को अतिक्रमक मानकर कारण बताओं सूचना पत्र	

R. 3465-A/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

जारी किया गया है जिसके आधार पर जानकारी उपरांत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है आवेदक ग्रामीण अनपढ़, अंशिक्षित होने के कारण ग्राम के ही अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रश्नाधीन कार्यवाही एवं उसके अंगूठा निशानी लेकर कार्यवाही अमल में लायी है। जबकि विचारण न्यायालय को इसकी अधिकारिता न होने से उन्होंने प्रश्नगत आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने न्यायिक दृष्टांत राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस. सी.–44 तथा माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख करते हुए आवेदक को जारी पट्टा यथावत् रखते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।

4– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को गौचर के रूप में दर्ज मान्य करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है जबकि बंटन अधिकारी तहसीलदार ओरछा द्वारा वर्ष 1990 में आवेदक को पट्टा जारी किया जाना पाया जाता है आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्ष 02.10.1984 के खसरा में उसका कब्जा पाया गया है इस कारण राजस्व रिकार्ड में गौचर मद की प्रविष्टि किस आधार पर की गई है। तथा राजस्व रिकार्ड अघतन न होने के आधार पर आवेदक को जारी किया गया बंटन आदेश को निरस्त करने का अधिकार नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर को न होने से पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर द्वारा पारित आदेशं दिनांक 06/01/2016 एवं प्रचलित कार्यवाही निरस्त करते हुए बंटन अधिकारी तहसीलदार पृथ्वीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/08/1990 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य